

## भाषा की परिभाषा

डा० धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

भाषा मानव-जीवन के लिए अनिवार्य उपकरण है। उसके अभाव में मानव-जीवन के विकास की प्रक्रिया अपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा समाज की सापेक्ष वस्तु है, अतः मानव-जीवन से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। वक्ता जब अपने भावों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता है, उस समय वह भाषा नामक साधन का ही आश्रय लेता है।

भाषा संस्कृत की 'भाष्' धातु से निष्पन्न से हुआ है जिसका प्रयोग व्यक्त वाणी के लिए किया जाता है। विचार-विनिमय और भावाभिव्यक्ति के सभी साधन भाषा के क्षेत्र में आते हैं। परन्तु, भाषाविज्ञान के अन्तर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं उसका क्षेत्र बड़ा ही सीमित है। उसमें उसी 'सार्थक ध्वनि समूह' को स्थान दिया जाता है जिसका अर्थ विश्लेषण हो सके।

विभिन्न भाषाशास्त्रियों ने 'भाषा' के शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। इनमें भारतीय और पाश्चात्य, प्राचीन और सभी वर्गों के विद्वान् हैं।

डा० मंगलदेव शास्त्री तुलनात्मक भाषाशास्त्र में भाषा की परिभाषा इस प्रकार करते हैं—“भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।

डा० श्यामसुन्दर दास “भाषारहस्य” में भाषा की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं—“मनुष्य-मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं”।

डा० बाबूराम सक्सेना “सामान्य भाषाविज्ञान” में भाषा की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं—“जिन ध्वनि-चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं”।

भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-“भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि-समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके”।

पी०डी० गुणे के अनुसार-“ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृद्गत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।

कतिपय पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने भी भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ का उल्लेख आगे किया जा रहा है-

हेनरी स्वीट के अनुसार-“ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।

ओत्तो येस्पर्सन के अनुसार-“मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरन्तर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्य-कलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है”।

वांद्रेये के अनुसार-“भाषा एक प्रकार का चिह्न है, चिह्न से तात्पर्य उन प्रतीकों से है, जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं का सम्यक् विश्लेषण करके आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने भाषा की यह परिभाषा प्रस्तुत की है-“ भाषा यादृच्छिक, रूढ, उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं”।

इस परिभाषा में चार बातें ध्यान देने योग्य हैं-1) भाषा उच्चरित संकेत है, 2) वह यादृच्छिक है, 3) वह रूढ है, 4) वह एक प्रकार की प्रणाली या व्यवस्था है।

इनकी चर्चा अब विस्तार के साथ की जा रही है-

- 1) भाषा को उच्चरित-संकेत कहकर उसकी ऐसी विशेषता पर बल दिया गया है जिसके द्वारा वह विचारों या भावों की अभिव्यक्ति के अन्य साधनों, जैसे इंगित आदि से अलग हो जाती है।

इंगित में भी विचार-विनिमय की क्षमता है, किन्तु वह उच्चरित संकेत नहीं है। इसी तरह झंडी या लाल-हरी रोशनी से अर्थ तो अभिव्यक्त तो होता है, किन्तु उच्चरित संकेत नहीं होने के कारण वह भी भाषा की कोटि में नहीं आ सकती है।

- 2) भाषा यादृच्छिक संकेत है अर्थात् शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ पशुविशेष को कुत्ता या घोड़ा क्यों कहते हैं, यह कहना असम्भव है। यदि ध्वनियों और इनसे बोधित होने वाले अर्थों में कोई नियत या युक्तिपूर्ण सम्बन्ध होता तो सभी भाषाओं में इन वस्तुओं के लिए ये ही ध्वनियाँ प्रयुक्त होतीं, किन्तु विभिन्न भाषाओं में इनके वाचक विभिन्न शब्द हैं। उदाहरणार्थ-

संस्कृत	हिन्दी	अंग्रेजी	रूसी	फ्रांसीसी	जर्मन
श्वान	कुत्ता	डाग	सबाका	श्याँ	हुन्द
अश्व	घोड़ा	हार्स	लोशज्	शव्हाल्	फेर्द

इन पशुओं और इनकी वाचक ध्वनियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये ध्वनियाँ मनमाने ढंग से गढ़ ली गयीं, समाज ने इन्हें स्वीकार कर लिया और ये उन पशुओं का बोधक बन गयीं। तो ध्वनि-संकेत यदृच्छा से प्रसूत है।

- 3) भाषा के ध्वनि-सङ्केत रूढ-अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। यह प्रसिद्धि परम्परा से प्राप्त होती है। पहले से लोग वस्तु-विशेष के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। उसे सुनकर आज जन्म लेने वाला बच्चा उस वस्तु के लिए वृक्ष का प्रयोग करने लगता है। वह यह नहीं समझता, न समझने की कोशिश करता है और न कोशिश करने पर सफल होगा किस इसे वृक्ष क्यों कहा गया। तर्कहीन प्रयोग-प्रवाह ही रूढि है। किसी भी भाषा में जितने ध्वनि संकेत होते हैं, वे प्रायः रूढ ही होते हैं।
- 4) भाषा में अन्तर्निहित नियमबद्धता होती है। इसीलिए उसे प्रणाली या व्यवस्था कहा गया है। शब्द और अर्थ में यदृच्छा सम्बन्ध होता है तथा वह रूढि या परम्परा से प्राप्त होता है किन्तु

भाषा के सफल प्रयोग के लिए उसके अन्तर्निहित नियमों का पालन भी अनिवार्य है। यह नियमबद्धता केवल वाक्य के स्तर पर ही नहीं होती, बल्कि शब्दों की संरचना में भी होती है। प्रत्येक भाषा की नियन-व्यवस्था भी अलग-अलग होती है, और तत्तत् भाषा का प्रयोग उसी के नियमों के आधार पर होता है। भाषा एक सुसम्बद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संघटना है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आ सकते हैं। सुव्यवस्थित पद्धति होने के कारण पद-रचना के विभिन्न नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इस व्यवस्था का ही फल है कि किसी भी भाषा का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन और विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न नियम बनाए जाते हैं।

भाषा को एक समुदाय के परस्पर व्यवहार का प्रकृततम माध्यम माना जाना चाहिए। भाषा मनुष्य के अनेक अर्जित संस्कारों में से एक संस्कार है जिसे वह जन्म से नहीं प्राप्त नहीं करता, बल्कि जिस समुदाय के बीच में वह बरतता है, उसी से उसे अर्जित करता है। जैसे आदमी खाने का तौर-तरीका सीखता है, उसी तरह भाषा के प्रतीकों का भी तरीका सीखता है। भाषा के बिना किसी समुदाय की कल्पना ही नहीं कर सकते। मनुष्य के सामाजिक जीवन में भाषा का स्थान इसीलिए कि यह दूसरे तौर-तरीकों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य है। भाषा मानव-जीवन के विकास के लिए एक अनिवार्य तत्त्व है। भाषा मानव-विचारों की अभिव्यक्ति की साधिका है। यद्यपि विचाराभिव्यक्ति के अन्य अनेक साधन भी हैं, जैसे-क्रियाओं द्वारा भावाभिव्यक्ति अथवा अर्थ-प्रकाश, बाह्य ध्वनियों द्वारा अर्थव्यञ्जना, सङ्केतों द्वारा भावप्रकाशन, प्रतीकों द्वारा भावव्यञ्जना, अनुकरण द्वारा भावाभिव्यक्ति। किन्तु भावाभिव्यक्ति के भाषा के अतिरिक्त अन्यान्य साधन अपूर्ण, अनिश्चित, भ्रामक, संशयोत्पादक तथा अमसर्थ रहते हैं। जीवन की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों अथवा विचारों का स्पष्टीकरण अन्य साधनों द्वारा नहीं हो सकता। अतः भाषा का महत्त्व अवर्णनीय है।